

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी- श्री ओपीओ बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 10/2018

प्रार्थी

भूराराम गोदारा
खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा
एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी

1. श्रवणसिंह पुत्र उदयसिंह उम्र 23 वर्ष जाति राजपूत निवासी थापन बाड़मेर (मैसर्स संचियानन्द दूध डेयरी सिवाना जिला बाड़मेर का अनुज्ञापत्र धारक एवं प्रोप्राईटर)
2. शम्भूसिंह पुत्र पहाड़सिंह उम्र 49 वर्ष जाति राजपूत निवासी थापन बाड़मेर (मैसर्स संचियानन्द दूध डेयरी सिवाना जिला बाड़मेर का अनुज्ञापत्र धारक एवं विक्रेता)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

- उपस्थित:-
1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर प्रार्थी की ओर से।
 2. श्री नृसिंह सोलंकी अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से।
 3. अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 06.06.2018

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 18.4.2018 को प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दौराने गश्त जरिये सरकारी वाहन मैसर्स संचियानन्द दूध डेयरी गौर का चौक सिवाना दोपहर 12.45 बजे पहुँचने पर डेयरी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला, नाम पता पूछने पर अपना नाम शम्भूसिंह पुत्र पहाड़सिंह जाति राजपूत निवासी थापन जिला बाड़मेर (मैसर्स संचियानन्द दूध डेयरी गौर का चौक सिवाना का विक्रेता) बताया। रूबरू मौतबिरान की उपस्थिति में डेयरी का निरीक्षण करने पर डेयरी में रखे फ्रीज के एक खण्ड में दूध (मिक्स) करीबन 35 लीटर भरा हुआ



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर



पाया गया। दूध में मिलावट का सन्देह होने पर उक्त दूध में से दो लीटर दूध नपवा कर चार कांच की साफ सुखी व खाली शिशियों में बराबर मात्रा में भरा गया, जिसका भुगतान मालिक विक्रेता को 70/- रुपये किया गया। उक्त प्रत्येक शीशी में 40-40 बूंद फार्मेलिन बतौर प्रिजररेटिव के रूप में डालकर उसके उपर एयरटाईट ढक्कन लगाकर बंद किया गया तथा उसके उपर लेबल चिपकाया, जिस पर नमूने का विवरण अंकित कर गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये एवं स्लीप कोड एवं सिरियल नम्बर पी.762 चिपकाकर चिपडी लगाकर नियमानुसार सीलबंद किया गया। इसके उपर लेबल चिपका कर नमूने का विवरण अंकित किए, प्रार्थी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित किया, इस पर प्रार्थी व गवाहों के पेपर स्लीप को कौंस करते हुए हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 05 ए भरकर गवाहों के एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये उपरोक्त कार्यवाही दो गवाहो के रूबरू की गई तथा चारो नमूनों को अपने कब्जे में लिया व मौके पर गवाहों की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। समस्त कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी.762 जाँच हेतु खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर को भिजवाने हेतु फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियो पर नमूना सील जिसका प्रयोग सेंपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनों को सीलबन्द करने में किया गया एवं आउटर कवर पर, नमूना विवरण अंकित किया गया एवं एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनों का शेष दूसरा, तीसरा व चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया कि पेय पदार्थ दूध (मिक्स) नमूना पी. 762 की जाँच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/356/एक्ट/2017/357 दिनांक 01.05.2017 से अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त हुई, जिसमें दूध का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होकर अवमानक स्तर (Sub Standard) का पाया गया। प्रकरण में अवमानक स्तर का



14

न्याय निर्णयन अधिकारी हनु
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पेय पदार्थ दूध (मिक्स) का विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन पाये जाने के आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एवं संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति, फार्म नम्बर 5 ए, नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी.762 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन, फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।


2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किया। पत्रावली न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कोर्ट कैम्प न्यायालय हाजा में पेश हुई, जिसके लिए पक्षकारान एवं अभिभाषकगण को नोटिस की तामीली करा दी गई थी। प्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से श्री नृसिंह सोलंकी अधिवक्ता उपस्थित।
3. हमने दोनो पक्षों को सुना। अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने जाहिर किया कि अप्रार्थीगण गांवो से दूध इकट्ठा करके अपनी डेयरी पर विक्रय करता है। दूध में इसके स्तर पर किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई। अप्रार्थीगण प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से करवाना चाहता है। कृपया प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए करावें। सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क है कि दिनांक 18.4.2017 को गश्त के दौरान मैसर्स सचियानन्द दूध डेयरी गौर का चौक सिवाना का निरीक्षण करने पर डेयरी में रखे फ्रीज के एक खण्ड में करीबन 35 लीटर दूध (मिक्स) रखा हुआ पाया गया था। दूध (मिक्स) का नमूना पी.726 निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने एवं अवमानक स्तर (Sub Standard) का होना पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना किये जाने के योग्य है। इसलिये अप्रार्थीगण पर जुर्माना आरोपित किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जाये।
4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/356/एक्ट/2017/357 दिनांक 01.05.2017 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक जोधपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा




विक्रय किये जा रहे दूध का नमूना पी. 762, अवमानक स्तर (Sub Standard) का पाया गया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी प्रतीत होते हैं।

5. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण श्रवणसिंह वगैरा द्वारा विक्रय किया जा रहा दूध, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने एवं अवमानक स्तर (Sub Standard) का रखने एवं बेचने के दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक स्तर (Sub Standard) पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 में अप्रार्थीगण श्रवणसिंह व शम्भूसिंह प्रत्येक पर रुपये 3000/- (अक्षरे रुपये तीन हजार मात्र) शास्ति आरोपित की जाती है। उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 06.06.2018 से एक माह के अंदर-अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।




(ओपीओबिशनोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्णय आज तारीख 06.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर